



बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार



ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 8 बजट (1) 21/ 2017 प0पा0 44/180 आ0/

दिनांक - 07/12/2017

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा०प्र०से०

निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

निदेशक, पशुपालन,

बिहार, पटना।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-02 के अधीन बजट शीर्ष 2403 - पशुपालन, राज्य स्कीम 109 - विस्तार तथा प्रशिक्षण, 0108- बिहार कौशल विकास मिशन, विपत्र कोड-02-2403001090108, बजट शीर्ष 2403 - पशुपालन, राज्य स्कीम, 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0108- बिहार कौशल विकास मिशन, विपत्र कोड-02-2403007890108, बजट शीर्ष 2403 - पशुपालन, राज्य स्कीम, 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 0127- बिहार कौशल विकास मिशन, विपत्र कोड-02-2403007960127 के अन्तर्गत संबंधित कार्यालय के व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या-3841, दिनांक- 30.11.2017 एवं तत्संबंधी शुद्धि-पत्र संख्या-3910 दिनांक-07.12.2017 के आलोक में संलग्न विवरणी- I, II एवं III के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

2- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-02 के अधीन बजट शीर्ष 2403 - पशुपालन, राज्य स्कीम 109- विस्तार तथा प्रशिक्षण, 0108- बिहार कौशल विकास मिशन, विपत्र कोड-02-2403001090108, बजट शीर्ष 2403 - पशुपालन, राज्य स्कीम, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0108- बिहार कौशल विकास मिशन, विपत्र कोड-02-2403007890108, बजट शीर्ष 2403 - पशुपालन, राज्य स्कीम, 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 0127- बिहार कौशल विकास मिशन, विपत्र कोड-02-2403007960127 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3- यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्य स्कीम के तहत "बिहार कौशल विकास मिशन" के अन्तर्गत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तहत पशुपालन प्रक्षेत्र के विभिन्न विधाओं/कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देकर उनके तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता एवं क्षमता में विकास कर स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना के लिए दिया जा रहा है।

4- वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998, 428/वि० दिनांक- 31.03.2017 एवं 3002/वि० दिनांक- 26.04.2017 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक विषयशीर्ष की राशि दूसरे विषयशीर्ष में व्यय नहीं की जायेगी।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हों।

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0 भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करा दें।

(घ) वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

5- जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 एवं समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों एवं संगत राज्यादेश में निहित निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0- 8 बजट (1) 21/ 2017 प0पा0 44/17 आ0/ पटना-15, दिनांक 07/12/2017

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या -टी0 ए0- 57-96-97-प0पा0-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0- 8 बजट (1) 21/ 2017 प0पा0 44/17 आ0/ पटना-15, दिनांक 07/12/2017

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0- 8 बजट (1) 21/ 2017 प0पा0 44/17 आ0/ पटना-15, दिनांक 07/12/2017

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट-3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0- 8 बजट (1) 21/ 2017 प0पा0 44/17 आ0/ पटना-15, दिनांक 07/12/2017

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0- 8 बजट (1) 21/ 2017 प0पा0 44/17 आ0/ पटना-15, दिनांक 07/12/2017

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा-09, योजना शाखा-06 एवं 10 पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना/ आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

विवरणी-I

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम के तहत "बिहार कौशन विकास मिशन" के अन्तर्गत स्वरोजगार के सृजन हेतु प्रशिक्षण की योजना हेतु आवंटन की विवरणी:-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम:- निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना ।		
क्र० सं०	विषय शीर्ष	विपत्र कोड- 02-2403001090108 सामान्य घटक के तहत कुल आवंटित राशि
1	2	3
1	0108.13.01-कार्यालय व्यय	780000
2	0108.20.03-प्रशिक्षण व्यय	46629000
3	0108.28.02- संविदा सेवाएँ	30591000
	कुल:-	78000000

(सात करोड़ अस्सी लाख रुपये) मात्र ।

निदेशक, पशुपालन ।

पशुपालन आ०


07/12/2017

विवरणी- II


वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम के तहत "बिहार कौशन विकास मिशन" के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक के योजना के तहत स्वरोजगार के सृजन हेतु प्रशिक्षण की योजना हेतु आवंटन की विवरणी:-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम :- निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना ।		
क्र० सं०	विषय शीर्ष	विपत्र कोड- 02-2403007890108 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक के तहत कुल आवंटित राशि
1	2	3
1	0108.13.01-कार्यालय व्यय	2000000
2	0108.20.03-प्रशिक्षण व्यय	10800000
3	0108.28.02- संविदा सेवाएँ	7200000
कुल:-		20000000

(दो करोड़ रुपये) मात्र



निदेशक, पशुपालन ।



पप (नि०) आ०
०७/१२/२०१७

विवरणी-III

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम के तहत "बिहार कौशन विकास मिशन" के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत स्वरोजगार के सृजन हेतु प्रशिक्षण की योजना हेतु आवंटन की विवरणी:-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम:- निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना।		
क्र० सं०	विषय शीर्ष	विपत्र कोड- 02-2403007960127 जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत कुल आवंटित राशि
1	2	3
1	0127.13.01-कार्यालय व्यय	200000
2	0127.20.03-प्रशिक्षण व्यय	1080000
3	0127.28.02- संविदा सेवाएँ	720000
कुल:-		2000000

(बीस लाख रुपये) मात्र

निदेशक, पशुपालन।

पशुपालन शाखा

07/12/2017

कॉम